

**भारत सरकार**  
**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**

**लोक सभा**

अतारांकित प्रश्न संख्या : 721  
उत्तर देने की तारीख : 24.07.2025

**उद्यम पोर्टल**

721. श्री थरानिवेंथन एम.एस.:

डॉ. भोला सिंहः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) उद्यम योजना/पंजीकरण पोर्टल की विशेषताएं क्या हैं;
- (ख) संपूर्ण देश में और तमिलनाडु में इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधि का व्यौरा क्या है;
- (ग) उद्यम पोर्टल के शुभारंभ के बाद से इस पर पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सहित राज्यवार संख्या कितनी है;
- (घ) संपूर्ण देश में इस योजना की प्रमुख उपलब्धियों का व्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या यह योजना देश के एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर साबित हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (च) उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित और ग्रामीण एमएसएमई की सहायता किए जाने के लिए प्रमुख पहलें क्या हैं?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री**  
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): दिनांक 1 जुलाई, 2020 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने एक लागत मुक्त, कागज रहित और पूरी तरह से डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) की शुरुआत की है, जिस पर कोई भी उद्यम स्वयं को एमएसएमई के रूप में पंजीकृत कर सकता है।

(ख) और (ग) : उद्यम पंजीकरण लागत मुक्त पोर्टल है, और कोई भी स्वयं पंजीकरण कर सकता है। इसके लिए कोई धनराशि स्वीकृत, आवंटित और प्रयुक्त नहीं की जाती है। दिनांक 18.07.2025 तक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश भर में यूआरपी पर पंजीकृत एमएसएमई का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(घ) और (ङ): उद्यम ने एमएसएमई को पहचान प्रदान की है और यह देश भर में एमएसएमई क्षेत्र को सक्षम बनाता है। यूआरपी पर पंजीकरण के बाद, कोई भी उद्यम मंत्रालय की योजनाओं का लाभ उठाने हेतु पात्र हो जाता है, बशर्ते कि वह दिशानिर्देशों में परिभाषित पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो।

(च): केंद्र सरकार अपनी विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से एमएसएमई को सहयोग देने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत, प्रधानमंत्री रोजगार सुरक्षन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) देश में कृषि-आधारित और ग्रामीण उद्यमों को सहयोग देने की एक प्रमुख पहल है। उत्तर प्रदेश राज्य में पीएमईजीपी के अंतर्गत सहायता प्राप्त इकाइयों का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्त वर्ष	संवितरित मार्जिन मनी सर्विसडी (करोड़ रुपए में)	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	अनुमानित रोजगार सृजित
2022-23	378.66	11,601	92,808
2023-24	435.29	11,689	93,512
2024-25	219.09	5,518	44,144

\*\*\*\*\*

अनुबंध

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 721, जिसका उत्तर दिनांक 24.07.2025 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

दिनांक 01.07.2020 से दिनांक 15.07.2025 तक यूएपी सहित यूआरपी पर पंजीकृत एमएसएमई की राज्य-वार संख्या का विवरण					
क्र. सं.	राज्य	संख्या	लघु	मध्यम	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	19,261	157	3	19,421
2	आंध्र प्रदेश	33,60,676	16,491	942	33,78,109
3	अरुणाचल प्रदेश	39,037	344	19	39,400
4	असम	11,83,889	6,523	519	11,90,931
5	बिहार	35,73,259	11,635	560	35,85,454
6	चंडीगढ़	68,200	1,247	124	69,571
7	छत्तीसगढ़	11,35,360	8,198	701	11,44,259
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	29,903	901	132	30,936
9	दिल्ली	11,91,761	27,734	2,689	12,22,184
10	गोवा	1,12,106	1,094	79	113,279
11	गुजरात	36,99,208	53,058	4,124	37,56,390
12	हरियाणा	16,69,870	22,580	1,729	16,94,179
13	हिमाचल प्रदेश	2,91,899	2,507	208	294,614
14	जम्मू और कश्मीर	7,36,820	3,162	203	740,185
15	झारखण्ड	13,17,404	5,758	349	13,23,511
16	कर्नाटक	43,32,188	30,775	2,238	43,65,201
17	केरल	15,76,019	12,627	744	15,89,390
18	लद्दाख	18,480	112	2	18,594
19	लक्ष्मीपुर	2,208	-	-	2,208
20	मध्य प्रदेश	41,33,259	19,307	1,150	41,53,716
21	महाराष्ट्र	85,51,716	72,793	6,694	86,31,203
22	मणिपुर	1,47,987	412	17	1,48,416
23	मेघालय	53,908	393	34	54,335
24	मिजोरम	44,951	207	6	45,164
25	नागालैंड	60,701	170	16	60,887
26	ओडिशा	20,44,179	9,787	581	20,54,547
27	पुडुचेरी	94,030	654	62	94,746
28	पंजाब	18,22,767	16,546	1,205	18,40,518
29	राजस्थान	37,35,958	26,543	1,598	37,64,099
30	सिक्किम	28,908	158	13	29,079
<b>31</b>	<b>तमिलनाडु</b>	<b>52,70,701</b>	<b>38,540</b>	<b>2,735</b>	<b>53,11,976</b>
32	तेलंगाना	25,47,334	19,604	1,749	25,68,687
33	त्रिपुरा	271,441	679	45	272,165
<b>34</b>	<b>उत्तर प्रदेश</b>	<b>70,62,336</b>	<b>39,018</b>	<b>2,475</b>	<b>71,03,829</b>
35	उत्तराखण्ड	539,209	3,945	270	543,424
36	पश्चिम बंगाल	45,53,732	23,323	1,706	45,78,761
<b>कुल:-</b>		<b>6,53,20,665</b>	<b>4,76,982</b>	<b>35,721</b>	<b>6,58,33,368</b>

रिपोर्ट दिनांक:- 18/07/2025 06:20 बजे अपराह्न दिनांक 01.04.2025 से प्रभावी संशोधित मानदंडों के आधार पर

स्रोत: उच्चम पंजीकरण पोर्टल